

२५/२/२६

अधिवक्ता अधीकार अमु./प्रकरण में अधिवक्ता अधीकार
के अन्वयानुसार ही और से बात-बात अवश्य जागृकी
इसके धारण इन्हीं ओर से केहि उपस्थित नहीं हुआ। इसके
अतिरिक्त अधिवक्ता अधीकार प्रकरण में आदिनांठ लठ
रेलवे. उ-पंथीहित-वसुधन फेदानही लिये जाने। विद्वान् पत्रकी
अदम-हाजरी। फेरनी एवं अदम लठकीज मे आरिष्य ही बानी
है। पत्रावली कृष्ण शुभार होकर बाद आवश्यक ज्ञानादी दामिक
दस्ता हो

राजस्व अधीन प्राधिकारी
पानी